सुभाष चंदर बंसल

बनाम

ज्ञानचंद और अन्य

(आपराधिक अपील सं। 2009 का 1676) 25 जनवरी, 2018

[आरके अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जेजे।]

दंड संहिता, 1860-एस.325/34-अभियोजन मामला यह था कि प्रतिवादी-आरोपी ने हॉकी से दो व्यक्तियों को चोट पहुंचाई-ट्रायल कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया, उच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और चार आरोपी व्यक्तियों को एस के तहत दोषी ठहराया। .325 आर/डब्ल्यू धारा 34, उनके द्वारा पहले से ही भुगती गई सजा को लागू करते हुए और 50,000 रुपये का जुर्माना चार दोषी अभियुक्तों द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा - एक आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया - माना गया: धारा 325 के तहत उत्तरदाताओं की दोषसिद्धि के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित था - सजा के संबंध में, उच्च न्यायालय की राय थी कि उत्तरदाताओं ने पहले ही विचाराधीन कैदियों के रूप में कुछ उचित अवधि की जेल की सजा काट ली है। और यह पर्याप्त था, इससे भी अधिक क्योंकि इसके अतिरिक्त, 50,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था - उच्च न्यायालय से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है - घायलों को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ उचित मुआवजा दिया गया था /--आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना: 1. सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 325 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया, न कि धारा 307 आईपीसी के तहत। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष पूरे अभियोजन साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित है और धारा 307 आईपीसी के बजाय धारा 325 आईपीसी के तहत उत्तरदाताओं को दोषी ठहराने के लिए इसे परेशान करने का कोई कारण नहीं दिखता है। (पैरा 10, 11][270-सी, डी)

2. जहां तक आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा देने का सवाल है, उच्च न्यायालय की राय थी कि उत्तरदाता पहले ही विचाराधीन कैदी के रूप में कुछ उचित अवधि की जेल की सज़ा काट चुके हैं और यह पर्याप्त प्रतीत होता है। विचाराधीन घटना 1988 में घटित हुई थी, 30 वर्ष बीत चुके हैं। दूसरे, इस बीच एक घायल की मौत भी हो गयी. तीसरा, घायलों को 50,000/- रुपये जुर्माने की राशि के साथ उचित मुआवजा दिया गया। 1988 में दिए गए जुर्माने की मात्रा उचित और उचित प्रतीत होती है। इसके अलावा, जुर्माने की राशि की मात्रा तय करना ट्रायल कोर्ट और इस मामले में उच्च न्यायालय का एकमात्र विवेकाधिकार है। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है, जो इस अपील में किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। (पैरा 12-15][270-ई-एच, 271-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2009 की संख्या 1676

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 1999 का संशोधन क्रमांक 174. सीआरएल में पारित आक्षेपित और अंतिम आदेश दिनांक 04.05.2007 से।

अपीलकर्ता के लिए सुश्री शालू शर्मा, सलाहकार।

उत्तरदाताओं के लिए बेनंत नूर सिंह मरोक, सतीश गोयल, मुश्ताक अहमद, डॉ. कैलाश चंद, कुलदीप सिंह, सुश्री जसप्रीत गोगिया, सलाहकार। .

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. यह अपील शिकायतकर्ता द्वारा जुर्माने के खिलाफ दायर की गई है। 1999 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 174 में पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2007 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

2. अपील का निपटान करने के लिए, नीचे कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

3. प्रतिवादी संख्या | 5 (पांच आरोपी व्यक्तियों) पर भारतीय दंड संहिता, 1908 (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 307/325/148/149 के तहत दो व्यक्तियों, ओम प्रकाश और रविंदर कुमार को हॉकी के साथ चोट पहुंचाने के लिए मुकदमा चलाया गया था। शाम 7.15 बजे. 29.07.1988 को. प्रतिवादियों के खिलाफ अभियोजन यहां अपीलकर्ता, जो पुत्र ओम प्रकाश (मृत्यु के बाद से) है, द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संख्या 128 दिनांक 03.08.1988 के आधार पर शुरू किया गया था

4. ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 14.11.1998 के आदेश द्वारा सभी पांच आरोपियों (प्रतिवादी संख्या | से 5 तक) को बरी कर दिया।

5. राज्य ने, उत्तरदाताओं को बरी करने के आदेश से व्यथित होकर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 की आपराधिक अपील संख्या 494-डीबी के रूप में आपराधिक अपील दायर की, जबकि शिकायतकर्ता ने दोषमुक्ति का आदेश के खिलाफ 1999 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 174 दायर की।

6. उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, राज्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और चार आरोपियों अर्थात् ज्ञान चंद, कृष्ण कुमार, लछमन दास और भगवान दास (प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 और 5) को धारा के तहत दोषी ठहराया। 325 को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ा गया और एक आरोपी व्यक्ति, सुरेश कुमार-प्रतिवादी संख्या 4 को संदेह का लाभ देकर बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के निर्णय का ऑपरेटिव भाग नीचे दिए गए रूप में पढ़ा जाता है

"उपरोक्त परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं को बरी किया जाता है उचित नहीं ठहराया जा सकता. हालाँकि, को ध्यान में रखते हुए सुरेश कुमार की ओर से दी गई दलील के अनुसार, हम उसे संदेह का लाभ देना और उसे बरी करना सुरक्षित मानते हैं लेकिन हमें अन्य आरोपियों को बरी करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिलता है। तदनुसार, हम आरोपी ज्ञान चंद, कृष्ण को दोषी ठहराते हैं कुमार, लछमन दास और भगवान दास धाराओं 325/34 आईपीसी के तहत लेकिन लंबे समय के अंतराल को ध्यान में रखते हुए घटना की तारीख, हम अवधि के लिए सजा सुनाते हैं पीडब्लू3 सुभाष चंदर और पीडब्लू4 वीरेंद्र कुमार द्वारा समान रूप से साझा किए जाने के लिए 50,000/- रुपये का मुआवजा देने के अलावा, उनके द्वारा पहले ही काटे गए कारावास की सजा सुनाई गई है। पता चला कि घायल ओम प्रकाश की पहले ही मौत हो चुकी है। चारों दोषी अभियुक्तों को 12,500/- रुपये का भुगतान करना होगा।"

7. शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है। राज्य ने कोई अपील दायर नहीं की है.

8. इसलिए, इस अपील में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी गई धारा 325 के तहत चार आरोपियों को दोषी ठहराया था, जो उचित था। उनके द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी सजा को लागू करते हुए 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे चारों दोषी अभियुक्तों द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा।

9. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद। हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। हमारी राय में, उच्च न्यायालय सही था और इसलिए दिए गए फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 325 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया, न कि धारा 307 आईपीसी के तहत। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय की राय में, धारा 307 आईपीसी के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया था, लेकिन यह मूल रूप से धारा 325 आईपीसी के तहत आने वाली "गंभीर चोट" का मामला था।

11. उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष, हमारी राय में, संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित है और हमें धारा 307 आईपीसी के बजाय धारा 325 आईपीसी के तहत उत्तरदाताओं को दोषी ठहराने के लिए इसे परेशान करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

12. जहां तक आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा देने का सवाल है, उच्च न्यायालय की राय थी कि उत्तरदाताओं ने पहले ही विचाराधीन कैदियों के रूप में कुछ उचित अवधि की जेल की सजा काट ली है। , हमारी राय में, पर्याप्त प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए और भी है, क्योंकि इसके अलावा 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा।

13. इस मुद्दे की जांच करने के बाद, हमें निम्नलिखित कारणों से इस मुद्दे पर भी हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।

14. सबसे पहले, विचाराधीन घटना 1988 में हुई थी, जबकि हम अब 2018 में हैं। इस अवधि के बीच, 30 साल बीत चुके हैं। दूसरे, इस बीच एक घायल की मौत भी हो गयी. तीसरा, घायलों को 50,000/- रुपये जुर्माने की राशि के साथ उचित मुआवजा दिया गया। 1988 में दिए गए जुर्माने की मात्रा उचित और उचित प्रतीत होती है। इसके अलावा, जुर्माने की राशि की मात्रा तय करना ट्रायल कोर्ट और इस मामले में उच्च न्यायालय का एकमात्र विवेकाधिकार है।

15. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो मामले के तथ्यों से सामने आए हैं, हमें सुभाष चंदर बंसल बनाम ज्ञान चंद [अभय मनोहर सप्रे, जे.] के मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है। जो अपील में किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता।

16. इस प्रकार अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

सर्वम द्विवेदी